प्रेस प्रकाशनी

16-03-2021

कोयला मंत्रालय के "देश भर में कोयले की ढुलाई हेतु कोयले का संरक्षण और अवसंरचना विकास" पर कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का उन्नीसवां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)

श्री राकेश सिंह, संसद सदस्य और कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (2020-21) के सभापति ने कोयला मंत्रालय के "देश भर में कोयले की ढुलाई हेतु कोयले का संरक्षण और अवसंरचना विकास" विषय पर समिति का यह उन्नीसवां प्रतिवेदन आज, 16 मार्च, 2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां/सिफारिशें निम्नवत हैः-

सरकार से कोयला खनन क्षेत्रों में सड़क तथा रेल नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण हेतु आईएसएम, धनबाद की सिफारिशें लागू करने के लिए कहा गया	समिति ने नोट किया है कि सीसीडीए योजना के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए भारतीय खनिक विद्यापीठ (आईएसएम), धनबाद द्वारा कोयला खानों में संरक्षण, सुरक्षा और अवसंरचनात्मक विकास का स्वतंत्र मूल्यांकन और आकलन किया गया था जिसमें सिफारिश की गई थी कि कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा संबंधी व्यय में, भराई और बचाव कार्यों की लागत में वृद्धि, बीसीसीएल और ईसीएल के मास्टर प्लान के कार्यान्वयन तथा नई प्रौद्योगिकियों यथा- मैनराइडिंग सुविधाएं, गैस वाली खानों की सुरक्षा में सुधार के लिए इन-सीम डीगैसिफिकेशन को शुरू करने, गहरी खानों में एयर कूलिंग प्रणाली शुरू करने इत्यादि के कारण आगामी वर्षों में वृद्धि होगी। इन कार्यकलापों पर व्यय के लिए सीसीडीए अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत सहायता प्राप्त की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त, समिति ने आगे नोट किया है कि निर्माण की प्रगति, गुणवत्ता और प्राक्कलन के सत्यापन

	की प्रभावी निगरानी के लिए यह वांछनीय है कि सड़क और रेल योजनाओं की संख्या में उपयुक्त सीमा तक कटौती की जानी चाहिए और महत्वपूर्ण तथा बड़े रेल और सड़क सम्पर्कों पर ही सहायता के लिए विचार किया जाना चाहिए। आईएसएम ने यह भी सिफारिश की है कि मौजूदा सड़कों/साइडिंग तथा छोटी लंबाई की सड़कों के सुदृढ़ीकरण/नवीकरण की योजनाओं को सहायता प्राप्त करने की श्रेणी से बाहर रखा जाना चाहिए। आईएसएम, धनबाद की अधिक उत्पादन लक्ष्यों के साथ कोयला खनन क्षेत्रों में सड़क और रेल नेटवर्क को तत्काल सुदृढ़ किए जाने की सिफारिशों को नोट करते हुए समिति चाहती है कि इसे लागू करने के लिए कोयला मंत्रालय/कोयला कंपनियों द्वारा उठाये गये कदमों से उसे अवगत कराया जाए। सिफारिश सं.-3
दीर्घकालिक सतत कोयला उत्पादन के लिए कोल इंडिया लिमिटेड भूमिगत खानों में बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रौद्योगिकी के लिए पहल की सिफारिश	समिति इस बात की सराहना करती है कि कोल इंडिया लिमिटेड के कोयला उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई है और इसमें इसकी शुरूआत से 78 मीट्रिक टन के छोटे से उत्पादन से 2018-19 में 600 मीट्रिक टन से ऊपर की उपलब्धि रही है, और समिति यह नोट करके भी प्रसन्न है कि वर्तमान में सीआईएल दुनिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है। सीआईएल ने यूजी और ओसी दोनों खानों में प्रौद्योगिकी में निरंतर सुधार करके अपने अधिकांश कार्यों को यंत्रीकृत कर दिया है ताकि कोयला भंडारों में अधिकतम वसूली के साथ अपने कोयले उत्पादन में वृद्धि कर सके। समिति को यह भी पता चला है कि वर्तमान में ओसी खनन प्रौद्योगिकी का कोयला उद्योग में वर्चस्व है जिसका देश के कोयला उत्पादन में 93.7 प्रतिशत योगदान है। यद्यपि सीआईएल की लगभग सभी ओसी खानों को यंत्रीकृत कर दिया गया है, यूजी खानों के संबंध में यह बताया गया है कि जहां भी व्यवहार्य है वहां बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रौद्योगिकी को यंत्रीकृत कर दिया गया है। इस तथ्य को देखते हुए कि कोयले का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है विशेषरूप से जब भारत के कोयला भंडार सीमित है, समिति का यह सुविचारित मत है कि सीआईएल को ओसी खनन के अतिरिक्त यूजी खानों में भी अपने लीज होल्ड के भीतर कोयला संसाधनों की निकासी के लिए एक रणनीति तैयार करनी चाहिए। समिति ने इच्छा व्यक्त की

	है कि दीर्घकाल में सतत कोयला उत्पादन के लिए सीआईएल यूजी खानों में व्यापक प्रयोग प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए और इसे शुरू करने के लिए तत्काल कार्य योजना बनानी चाहिए और इस बारे में उसे अवगत कराया जाए। सिफारिश सं.-4
झरिया और रानीगंज के तत्कालीन निवासियों की शिकायतों को दूर करने के लिए नई आरएंडआर नीति के साथ संशोधित प्रारूप मास्टर प्लान पर बल दिया गया।	समिति को सूचित किया गया है कि रानीगंज कोलफील्ड में 26865.82 मीट्रिक टन और झरिया कोलफील्ड में 19530.63 मीट्रिक टन (1.4.2019 को जीएसआई की कोयला इनवेंटरी के अनुसार) उच्च गुणवत्ता वाले कोयला संसाधनों को खोलने के लिए झरिया के बीसीसीएल/गैर-बीसीसीएल परिवारों के और रानीगंज कोलफील्ड् के ईसीएल/गैर-ईसीएल परिवारों के स्थान परिवर्तन और पुनर्वास के लिए कार्रवाई की जा रही है। अनुमोदित मास्टर प्लान के अनुसार, ईसीएल और बीसीसीएल के कर्मचारियों के पुनर्वास की जिम्मेदारी ईसीएल और बीसीसीएल की है जिसका कार्य या तो पूरा हो चुका है या पूरा होने ही वाला है। साथ ही, गैर-ईसीएल और गैर-बीसीसीएल परिवारों के पुनर्वास का कार्य संबंधित राज्यों के लिए अभिनिर्धारित कार्यान्वयन एजेंसियों, झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण (जेआरडीए) और आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण (एडीडीए) द्वारा किया जा रहा है। समिति को बताया गया है कि कोयला उत्पादक क्षेत्रों से परे नगर बसाने के लिए एक बड़े भूमि के टुकड़े का अधिग्रहण एक बहुत बड़ी बाधा है। इसके अलावा, कट-ऑफ तारीख को अंतिम रूप नहीं दिया गया, मास्टर प्लान के आरएंडआर पैकेज को स्वीकार नहीं किया गया जिसमें एक परिवार में लोगों के रोजगार, सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ शहरी क्षेत्र में एकीकृत नगर-क्षेत्र, आजीविका संबंधी प्रावधानों इत्यादि के साथ एलएआरआर अधिनियम, 2013 की मांग की गई है। अतः एक संशोधित मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। समिति ने इच्छा व्यक्त की है कि नई आरएंडआर नीति के साथ संशोधित मास्टर प्लान तैयार करते समय पीड़ित परिवारों की शिकायतों का समुचित रूप से निवारण किया जाए क्योंकि झरिया और रानीगंज में सभी पूर्व निवासियों ने पुनर्वास और व्यवस्थापन के दौरान अपनी आजीविका के स्त्रोत को छोड़ा होगा। सिफारिश सं.-6
कोल इंडिया लिमिटेड	समिति ने नोट किया है कि कोलफील्ड क्षेत्रों से कोयले की निकासी हेतु

की खानों में एमजीआर/रेल/पाइप्ड कन्वेयर बेल्टों के माध्यम से कोयले के परिवहन की पूर्ण मशीनीकृत प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करने की सिफारिश की गई।	रेल, सड़क, एमजीआर और बेल्ट पाइप कन्वेयर जैसे परिवहन के विभिन्न माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है। यह चिंता का विषय है कि देश में निकाले गए कुल कोयले में से, केवल 34% एमजीआर/रेल/बेल्ट से निकासी की जा रही है और शेष 66% की निकासी सड़क से की जाती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पिटहेड से डिस्पैच प्वाइंट तक सड़क के रास्ते कोयले की ढुलाई के कारण धूल और वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है जिससे पर्यावरण सुरक्षा पर खतरा मंडराने के साथ-साथ विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी खतरे उत्पन्न होते हैं समिति ने सिफारिश की है कि सीआईएल सड़क के रास्ते कोयले की ढुलाई को धीरे-धीरे समाप्त करे। चूंकि, कोयले का पाइप्ड कन्वेयर बेल्ट परिवहन कोयले की आवाजाही के लिए कवर्ड सिस्टम है और यह कोयले की चोरी के साथ-साथ संभावित प्रदूषण को भी रोकता है, समिति का मत है कि सीआईएल, अपनी खानों में पिटहेड से डिस्पैच प्वाइंट तक सड़क के रास्ते कोयले की ढुलाई के वर्तमान प्रचलन को धीरे-धीरे बदलते हुए एमजीआर/रेल/पाइप्ड कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से कोयले की ढुलाई की पूर्णतया मशीनीकृत व्यवस्था करने पर ध्यान केंद्रित करे। सिफारिश सं.-8
समयबद्ध तरीके से कोयले की निकासी में वृद्धि करने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समस्त रेल लाइन परियोजनाओं को पूरा करने पर जोर दिया गया	समिति ने नोट किया है कि नई रेल लाइनों के विकास और वर्तमान रेल लाइनों की क्षमता बढ़ाने का कार्य प्रगति पर है जो विशेषकर साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में कोयले की निकासी में वृद्धि करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इनमें से कुछ रेलवे लाइन तोरी-शिवपुर, झारसुगुड़ा-बरपली-सारडेगा, वर्तमान देउलबेरा साइडिंग का लिंगराज साइलो के साथ रेल संपर्क, शिवपुर-कठौतिया, ईस्ट कॉरीडॉर (खरसिया-कोरीछापर-धर्मराजगढ़-कोरबा), ईस्ट-वेस्ट कॉरीडॉर (गेवरा रोड-पेंडरा रोड-कुसमुंडा), अंगुल-बलराम, सिंगरौली-शक्तिनगर-कटनी लाइन का दोहरीकरण, बरकाखाना-बरवाडीह की तीसरी लाइन, झारसुगुडा से बिलासपुर की तीसरी और चौथी लाइन, डीएफसी-दादरी से सोननगर और कोडरमा तक एक्स्टेंशन, तालचेर से बुढ़ापंक तक तीसरी और चौथी लाइन, बुढ़ापंक से रजतगढ़ तक तीसरी और चौथी लाइन हैं। समिति आशा करती है कि रेल मंत्रालय इन सभी

	परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने के लिए विशेषकर 2023-24 तक एक बिलियन टन कोयला उत्पादन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को और कोयला निकासी अवसरंचना के लिए मांग में परिणामी वृद्धि को देखते हुए पुरजोर प्रयास करेगा। समिति ने इच्छा व्यक्त की है कि इन परियोजनाओं को पूरा करने हेतु रेल और कोयला मंत्रालयों द्वारा उठाए गए वांछित कदमों के बारे में उसे अवगत कराया जाए। सिफारिश सं.-10
सड़क मार्ग द्वारा कोयले की ढुलाई के कारण प्रदूषण में कमी करने के लिए किए गए उपायों का सख्ती से क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र की सिफारिश की गई।	समिति ने यह पाया है कि कोयले की ढुलाई हर तरह से धूल धूसरित होती है, जिसके कारण कृषि, वानिकी, बागबानी, मत्स्यपालन, भवनों और प्रतिष्ठापनों के प्रभावित होने के अलावा, परियोजना/खान स्थल के समीप रहने वाले स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं। समिति ने इस बात की सराहना की है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अनिवार्य की गई निर्धारित पर्यावरण मंजूरी संबंधी शर्तों के अनुसार ढके हुए ट्रकों/वाहक पट्टे द्वारा सड़क मार्ग से कोयले की ढुलाई की जाती है। इसके अलावा, वायु प्रदूषण प्रवण क्षेत्रों में नियमित जल/मिस्ट स्प्रिंकलिंग/रेन गन आदि जैसे प्रभावी नियंत्रण उपाय किए जाते हैं। कोयले की ढुलाई के दौरान कोयला कंपनियों द्वारा अन्य उपाय किए जा रहे हैं, जिनमें खान के आसपास पौधा रोपण करना, कोयले की ढुलाई के लिए प्रमुख सड़कों जिनकी सतह काले रंग की हो अथवा जो कंक्रीट से बनी हो, का उपयोग करना, मौजूदा स्थानीय गांवों/बस्तियों को नजरअंदाज कर कोयले की ढुलाई के लिए अनुमोदित खनन योजना में प्रस्तावित प्रावधानों और तरीकों के अनुपालन के अलावा, अनुमोदित धूल दबाने वाले रसायनों से सड़कों की मरम्मत करना इत्यादि सम्मिलित है। सड़क द्वारा कोयले की ढुलाई के कारण होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए कोयला कंपनियों द्वारा किए गए विभिन्न उपायों को देखते हुए, समिति ने सड़क मार्ग द्वारा कोयले की ढुलाई के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए इन उपायों का सख्ती से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु निगरानी तंत्र स्थापित करने की सिफारिश की है। पर्यावरण और परियोजनाओं/खनन स्थल के समीप रहने वाले स्थानीय लोगों के हित में सड़क मार्ग से कोयले की ढुलाई के कारण पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम करने और उन्हें दूर करने के लिए ऐसे उपायों की प्रभावशीलता निर्धारित

	करने हेतु समय-समय पर समीक्षा की जाए, जिनमें पणधारकों इत्यादि से फीडबैक लेना भी सम्मिलित है। समिति को कृषि उत्पाद पर पड़ने वाले कोयले की ढुलाई के प्रतिकूल प्रभाव और इसे नियंत्रित करने के उपायों से संबंधित हुए अध्ययन से भी अवगत कराया जाए। सिफारिश सं.-14